न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी– गितेश श्री मालवीय (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
042/2018 (GCMS 2018/00209)	13.07.2018	10.02.2023

अनवान

सरकार जरिये श्री अशोक कुमार गुप्ता, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वा. सेवायें–जोन उदयपुर (राज.) हाल खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बांसवाड़ा

–प्रार्थी

बनाम

1–श्री सिद्धार्थ पाटनी पुत्र अशोक कुमार पाटनी, उम्र 30 वर्ष जाति जैन, विक्रेता मैसर्स अशोक फार्मा एण्ड सर्जिकल्स दुकान नं. 15, अम्बे नगर, रोड़वेज बस स्टेण्ड के पीछे चित्तौड़गढ़ स्थायी पता–वार्ड नं. 01, चित्तौड़गढ़ रोड़ बेगूं, मु. पो. बेगूं जिला चित्तौड़गढ़

2–श्री शेलेष कुमार पाटनी पुत्र अशोक कुमार पाटनी, उम्र वयस्क जाति जैन, विक्रेता मैसर्स अशोक फार्मा एण्ड सर्जिकल्स दुकान नं. 15, अम्बे नगर, रोड़वेज बस स्टेण्ड के पीछे चित्तौड़गढ़ स्थायी पता–वार्ड नं. 01, चित्तौड़गढ़ रोड़ बेगूं, मु. पो. बेगूं जिला चित्तौड़गढ़

3–मैसर्स अशोक फार्मा एण्ड सर्जिकल्स दुकान नं. 15, अम्बे नगर, रोड़वेज बस स्टेण्ड के पीछे चित्तौड़गढ़

4–श्री दिनेश कुमार मलारा पुत्र कन्हैयालाल मलारा, उम्र वयस्क, M/S Paradise Distributors 8, Parshwanath, Dawa Bazar, Hazareshwar Colony, Udaipur 313001(Raj.) स्थायी पता–13 सम्राट नगर, बोहरा गणेश रोड़, उदयपुर शास्त्री सर्किल, गिर्वा, उदयपुर (राज.) 313001

5– M/S Paradise Distributors 8, Parshwanath, Dawa Bazar, Hazareshwar Colony, Udaipur 313001(Raj.)

6–श्री चन्द्रमोहन गांधी पुत्र रामेश्वर लाल गांधी, उम्र वयस्क, पार्टनर M/S Alkem Laboratories Ltd. Consignee Agent Gaytri Trade Link, Jodhpur, Basni II Faze, Gali No - 10, Plot No- 30, Jodhpur (Raj.) 342001, स्थायी पता–605, गांधीयों की गल्ली सिटी पैलेस, जोधपुर (राज.)

7–श्रीमति रानी गांधी पत्नि उगमराज गांधी उम्र वयस्क, पार्टनर M/S Alkem Laboratories Ltd. Consignee Agent Gaytri Trade Link, Jodhpur, Basni II Faze, Gali No - 10, Plot No- 30, Jodhpur (Raj.) 342001, स्थायी पता–17 ई 92 मीरा पार्क चौपासनी, हाउसिंग बोर्ड जोधपुर (राज.)

8–श्रीमति रीना विजयवर्गीय पत्नि ओमप्रकाश उम्र वयस्क पार्टनर M/S Alkem Laboratories Ltd. Consignee Agent Gaytri Trade Link, Jodhpur, Basni II Faze,

Gali No - 10, Plot No- 30, Jodhpur (Raj.) 342001, स्थायी पता– 17/22 चौपासनी, हाउसिंग बोर्ड जोधपुर (राज.)

9–श्रीमति सरीता संचेती पत्नि सुरेश संचेती उम्र वयस्क, पार्टनर M/S Alkem Laboratories Ltd. Consignee Agent Gaytri Trade Link, Jodhpur, Basni II Faze, Gali No - 10, Plot No- 30, Jodhpur (Raj.) 342001, स्थायी पता– 75 स्वर्ग मार्ग सीवान्ची गेट के अन्दर की तरफ जोधपुर (राज.)

10–M/S Alkem Laboratories Ltd. Consignee Agent Gaytri Trade Link, Jodhpur, Basni II Faze, Gali No - 10, Plot No- 30, Jodhpur (Raj.) 342001,

11–श्री दीपक सिंह ठाकुर (सहायक अधिकारी स्टोर) नोमिनी M/S Alkem Laboratories LTD.Derabassi Warehouse, Village Sundra, Nr. Parabolice drugs P.O. Mubarikpur, Tehsil Derabassi MOHALI (Punjab)-140201

12–श्री मनोज कुमार रॉय (सहायक स्टोर) नोमिनी M/S Alkem Laboratories LTD.Derabassi Warehouse, Village Sundra, Nr. Parabolice drugs P.O. Mubarikpur, Tehsil Derabassi MOHALI (Punjab)-140201

13– M/S Alkem Laboratories LTD.Derabassi Warehouse, Village Sundra, Nr. Parabolice drugs P.O. Mubarikpur, Tehsil Derabassi MOHALI (Punjab)-140201

14–श्री नवीन खन्ना (नोमिनी) M/s Cachet Pharmaceuticals Pvt.Ltd. Village Thana, Baddi Dist. Solan, Himachal Pradesh-173205

15– M/s Cachet Pharmaceuticals Pvt.Ltd. Village Thana, Baddi Dist. Solan, Himachal Pradesh-173205

–अप्रार्थीगण

उपस्थितिः– 1–पैरोकार सरकार

–:: जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) एफएसएस एक्ट 2006 नियम 2011 ::–

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी अशोक कुमार गुप्ता ने परिवाद अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) के तहत विरूद्ध अप्रार्थीगण के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 20.09.2016 को कार्यालय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें–जोन उदयपुर में खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य संपादन कर रहे थे, और इन्हें राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक **H/FSSA/Notification/2011/727 Dated 29-11-2011** के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन. स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक एच/एफएसएसए/(एफ–28)/नोटिफिकेशन/2012/172 दिनांक 01.02.2012 के अनुसार इनका कार्य क्षेत्र कार्यालय संयुक्त निदेशक,

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन उदयपुर आवंटित किया गया था और अधिसूचना कमांक/एफएसएसए/नोटिफिकेशन/2012/37 दिनांक 09.01.2012 के अनुसार उदयपुर जोन के अंतर्गत आने वाले जिलों के समस्त स्थानीय क्षेत्र इनके कार्य क्षेत्र में आते हैं। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 20.09.2016 को समय 03.00 पी.एम. पर मैसर्स अशोक फार्मा एण्ड सर्जिकल्स दु. नं. 15, अम्बेनगर, रोड़वेज बस स्टेण्ड के पीछे, चित्तौड़गढ़ पर पहुंचे। विक्रेता को अपना परिचय पत्र दिखाकर नाम पता पूछा जिस पर विक्रेता ने अपना नाम श्री सिद्धार्थ पिता अशोक कुमार पाटनी जाति जैन स्थायी पता वार्ड नं. 01, चित्तौड़गढ़ रोड़, बेगूं होना तथा स्वयं को उक्त दुकान का विक्रेता होना बताया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता से खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञप्ति/रजिस्ट्रेशन वर्ष–2016 दिखाने को कहा जिस पर उक्त विक्रेता ने मौके पर खाद्य पदार्थ विक्रय रजिस्ट्रेशन वर्ष–2014–19 का प्रस्तुत किया। फर्म का निरीक्षण करने पर पाया कि उक्त विक्रेता की दुकान पर Non Alcoholic Ready to Serve Beverage Mix (Propriratary Food) Health Supplement (Protikem) के 200 ग्राम वाले 50 डिब्बे मूल ही, कम्पनी पैक, सील बन्द स्थिति में आम जनता को बिक्री वास्ते रखे पाये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त खाद्य पदार्थ मिसब्राण्ड, अनसेफ एवं सबस्टैण्डर्ड का शक होने पर, विक्रेता को फार्म नं. 5ए देकर उक्त Non Alcoholic Ready to Serve Beverage Mix (Propriratary Food) Health Supplement (Protikem) के 200 ग्राम के 12 सील बन्द पैकेट (डब्बे) मूल ही, कम्पनी पैक, सील बन्द स्थिति में वास्ते जांच हेतु खरीदने की सूचना देते हुए, उक्त Non Alcoholic Ready to Serve Beverage Mix (Propriratary Food) Health Supplement (Protikem) की 200 ग्राम के 12 सील बन्द पैकेट (डब्बे) मूल ही, कम्पनी पैक, सील बन्द स्थिति में वास्ते जांच हेतु खरीदे तथा इनकी कीमत 577 रू. विक्रेता को नकद चुका कर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता द्वारा उक्त माल का बिल भी प्रस्तुत किया गया, जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ मूल ही संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूना जांच हेतु क्रय किये गये Non Alcoholic Ready to Serve Beverage Mix (Propriratary Food) Health Supplement (Protikem) के 12 पैकेट (डब्बे) पर फार्म नं. 5 ए पर वर्णित सभी जानकारी अंकित पाई गई। विक्रेता ने मौके पर उक्त माल खरीद संबंधी M/S Paradise Distributors 8, Parshwanath, Dawa Bazar, Hazareshwar Colony, Udaipur 313001(Raj.) द्वारा जारी इनवाईस नं. 002828 दिनांक 07.07.2016 प्रस्तुत किया। अब इन खरीदशुदा 12 मूल पैकेट (डिब्बे) को 4 बराबर–बराबर भागों में बांटा तथा प्रत्येक भाग में Non Alcoholic Ready to Serve Beverage Mix (Propriratary Food) Health Supplement (Protikem) के 200 ग्राम वाले 3 पैकेट (डिब्बे) शिल्ड स्थिति में रखें। अब इन चारों भागों पर लेबल जिस पर अभिहित अधिकारी संभाग स्तरीय (खाद्य सुरक्षा) के कोड व सिरीयल नम्बर AF-863 नमूना लेने वाले का नाम, नमूना लेने की दिनांक व स्थान, किस वस्तु का नमूना लिया आदि अंकित कर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर करा स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर कर चिपकाया। प्रत्येक नमूना पैकेट को मोटे व मजबूत कागज में लपेटकर, कागज के दोनो सिरों को सफाई से मोडकर गोंद से चिपकाया। प्रत्येक नमूना पैकेट पर अभिहित अधिकारी

संभाग स्तरीय (खाद्य सुरक्षा) जोन उदयपुर की हस्ताक्षर युक्त पेपर स्लिप संख्या AF-863 प्रत्येक नमूना भाग के पेंदे से शीर्ष तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर मोटे व मजबूत धागे से बांधकर, चार जगह चपडी से, एक सील प्रत्येक नमूना भाग के मुँह पर, एक सील प्रत्येक नमूना भाग के पेंदे पर तथा दो सील प्रत्येक नमूना भाग की बॉडी पर, (जहॉं धागे की गांठ लगाई थी) लगाकर नियमानुसार सील बन्द किया। चारों सील बन्द नमूना भागों पर विक्रेता के इस प्रकार हस्ताक्षर करवाये जो आधे पेपर स्लिप व आधे रेपर पर दोनों पर आवे एवं गवाहान के हस्ताक्षर करवाये। प्रत्येक सील बन्द नमूना भाग पर नमूना नम्बर, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ का नाम अंकित कर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किए व चारों नमूना भागों को अपने कब्जे में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नं. 5 ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता तथा गवाहान हो पढ़ाकर, सुनाकर एवं समझा कर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता ने भी पढ़कर, सुनकर, समझकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किए। फार्म नं. 5ए की एक प्रति विक्रेता एवं मालिक को देकर रसीद प्राप्त की। फार्म नं. 5ए व फर्द रिपोर्ट मूल ही न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न हैं। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील अंकित की, जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर (खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला) को जमा करवा कर फार्म नं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की जिसकी असल प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के संलग्न है। फार्म नं. 6 की एक प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर (खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला) को जमा करा कर इसकी रसीद प्राप्त की जिसकी असल प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म संख्या 6 की दो प्रतियों के आउट कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं. 6 की एक प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर अभिहित अधिकारी संभाग स्तरीय एवं उप निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, जोन उदयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जिसकी असल प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी संभाग स्तरीय (खाद्य सुरक्षा) एवं उप निदेशक, चिकि. एवं स्वा. सेवायें, जोन उदयपुर के पत्रांक/जोन/एफएसएसए/2016/2019 दिनांक 16.11.2016 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर (खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला उदयपुर) से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या एल एस 566/Act/2016/583 दिनांक 14.10.2016 के अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया खाद्य पदार्थ Non Alcoholic Ready to Serve Beverage Mix (Propriratary Food) Health Supplement (Protikem) के लेबल पर Violation Of Regulation 2.2.1(1)(4), 2.2.2(7), 2.2.2(9) of the Food Safety and Standards (Packaging & Labelling) Regulation 2011 पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(Zf)(B)(ii) के तहत मिस्ब्राण्ड होना पाया गया है। उक्त पत्रांक एवं जांच रिपोर्ट की मूल प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के संलग्न

है। अभिहित अधिकारी संभाग स्तरीय (खाद्य सुरक्षा) एवं उप निदेशक, चिकि. एवं स्वा. सेवायें जोन उदयपुर के पत्रांक जोन/एफएसएसए/2016 /2018 दिनांक 16.11.2016 के द्वारा विक्रेता को एवं पत्रांक 2233 दिनांक 21.12.2016 द्वारा थोक विक्रेता को धारा 46(4) के तहत खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट के विरूद्ध अपील हेतु नोटिस दिया गया जिसकी पृष्ठांकित प्रति रजिस्ट्री की मूल रसीद सहित संलग्न न्यायनिर्णयन आवेदन हैं। यह कि खाद्य कारोबारकर्ता द्वारा उक्त माल खरीद सबंधी बिल प्रस्तुत करने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पत्रांक 1787 दिनांक 26.09.2016 द्वारा M/S Paradise Distributors 8, Parshwanath Dawa Bazar, Hazareshwar Colony, Udaipur को फार्म नं. 5ए की प्रति प्रेषित की। उक्त फर्म से खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा पत्रांक 55 दिनांक 09.01.2017 द्वारा सूचना चाही गई जिस पर उक्त फर्म ने प्रति उत्तर में खाद्य अनुज्ञा पत्र की फोटोप्रति, आधार कार्ड की फोटोप्रति, वेट–03 की फोटोप्रति, माल खरीद बिल की फोटोप्रति पेश की जो संलग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है। अभिहित अधिकारी संभाग स्तरीय (खाद्य सुरक्षा) एवं उप निदेशक के पत्रांक जोन/एफएसएसए/2017/282 दिनांक 09.02.2017 के द्वारा M/S Alkem Laboratories Ltd. Consignee Agent Gaytri Trade Link, Jodhpur को धारा 46(4) के तहत खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट के विरूद्ध अपील हेतु नोटिस दिया गया जिसकी पृष्ठांकित प्रति, रजिस्ट्री की मूल रसीद सहित संलग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है। अभिहित अधिकारी संभाग स्तरीय (खाद्य सुरक्षा) एवं उप निदेशक के पत्रांक 169 दिनांक 23.01.2018 के द्वारा M/S Alkem Laboratories LTD.Derabassi Warehouse, Village Sundra, Nr. Parabolice drugs P.O. Mubarikpur, Tehsil Derabassi MOHALI (Punjab) एवं M/s Cachet Pharmaceuticals Pvt.Ltd. Village Thana, Baddi Dist. Solan, Himachal Pradesh को धारा 46(4) के तहत खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट के विरूद्ध अपील हेतु नोटिस दिया गया जिसकी पृष्ठांकित प्रति, रजिस्ट्री की मूल रसीद सहित संलग्न न्यायनिर्णयन आवेदन हैं। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रकरण से संबंधित समस्त दस्तावेजों की मूल पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु अभिहित अधिकारी संभाग स्तरीय (खाद्य सुरक्षा) एवं उप निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन उदयपुर को दिनांक 13.03.2018 को प्रस्तुत की एवं अभिहित अधिकारी द्वारा अपने पत्रांक जोन/एफएसएसए/2018/603 दिनांक 14.03.2018 द्वारा आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) एवं निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वा. सेवायें राज. जयपुर को अभियोजन समय सीमा बढ़ाने बाबत् पत्र लिखा पत्र की कार्यालीन प्रति एवं इस के प्रति उत्तर में आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) एवं निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वा. सेवायें, जयपुर ने पत्रांक 505 दिनांक 30.05.2018 के द्वारा उक्त प्रकरण को न्यायालय में पेश करने की समय सीमा दिनांक 31.07.2018 तक विस्तारित की गई जिसकी प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के संलग्न है। अभिहित अधिकारी संभाग स्तरीय एवं उप निदेशक, चिकित्सा एवं स्वा. सेवायें जाने उदयपुर ने पत्रांक/एफएसएसए/2018/1107 दिनांक 05.06.2018 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त प्रकरण में न्यायनिर्णयन आवेदन पेश करने हेतु प्राधिकृत किया है। उक्त प्रकरण में उक्त अभियुक्तगण ने मिसब्राण्डेड खाद्य पदार्थ Non Alcoholic Ready to Serve Beverage Mix (Propriratary Food) Health Supplement (Protikem) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं

मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (II) का उल्लघंन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 मे निर्धारित है। अन्त में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रार्थना की गई कि उपरोक्त आवेदन न्याय निर्णयन हेतु प्रस्तुत है जिसे स्वीकार कर उक्त अभियुक्तगणों पर अधिकतम जुर्माना लगाया जाए ताकि आम जनता को सुरक्षित खाद्य उपलब्ध कराया जा सके।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा परिवाद के समर्थन में गवाहान की शहादत हेतु शहादत सूची प्रस्तुत की गई जो कि शामिल पत्रावली है। शहादत सूची के अनुसार गवाह संख्या 1 अशोक कुमार गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन, उदयपुर गवाह संख्या 2 इमरान शेख पुत्र मोहम्मद रफीक शेख मकान नं. 469, सेक्टर–4, गांधीनगर, चित्तौड़गढ़ (मौका गवाह) गवाह संख्या 3 देवेन्द्र सिंह राणावत खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ (मौका गवाह) गवाह संख्या 4 पंकज कुमार खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर (नमूना जांचकर्ता) एवं गवाह संख्या 5 डॉ. मंजू अग्रवाल अभिहित अधिकारी, संभाग स्तरीय एवं उप निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन उदयपुर (न्यायनिर्णयन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत कर्ता) पेश किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा परिवाद के समर्थन में समस्त संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किये गये। जो शामिल पत्रावली होकर रेकार्ड पर है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन उदयपुर द्वारा प्रस्तुत परिवाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड ए. डी. के माध्यम से सूचना पत्र प्रेषित कर तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 से 5 की ओर से अधिवक्ता श्री प्रकाश चन्द्र शर्मा ने तथा अप्रार्थी संख्या 10, 14 व 15 की ओर से अधिवक्ता श्री सावन श्रीमाली ने अधिकार पत्र पेश किया। अप्रार्थी संख्या 6, 7, 8, 9, 11, 12 एवं 13 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से अप्रार्थी संख्या 6, 7, 8, 9, 11, 12 एवं 13 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। उसके पश्चात् अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 से 5 एवं अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 10, 14 एवं 15 भी बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से अप्रार्थी संख्या 1 से 5 व 10, 14 एवं 15 के विरूद्ध भी एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। अतः बहस प्रकरण खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता पूर्वक अध्ययन/परिशीलन किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी विधिक प्रावधानों के तहत उक्त फर्म के खाद्य पदार्थ का नमूना लिये जाने के लिये अधिकृत है जिसकी पुष्टि आवेदक खाद्य

सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के अन्तर्गत दस्तावेज क्रमांक 2 एवं 3 से होती हैं। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज क्रमांक 4 व 5 फार्म नंबर 5 ए एवं नमूना क्रय रसीद की प्रति से जाहिर होता हैं कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा विक्रेता/मालिक को खाद्य पदार्थ Non Alcoholic Ready to Serve Beverage Mix (Propriratary Food) Health Supplement (Protikem) का नमूना वास्ते जांच लेने हेतु सूचना दी गई जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 एवं मौके के गवाहान के हस्ताक्षर हैं। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूना लिये जाने हेतु विक्रेता/मालिक से नियमानुसार खाद्य पदार्थ क्रय किया गया जिसकी पुष्ठि दस्तावेज क्रमांक 5 से होती है, उस पर भी विक्रेता एवं गवाहान की शहादत के रूप में हस्ताक्षर हैं, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज क्रमांक 6 से जाहिर होता है कि उक्त कार्यवाही दिनांक 20.09.2016 को मौके पर की गई। दस्तावेज क्रमांक 6 मौका फर्द रिपोर्ट दिनांक 20.09.2016 से जाहिर होता है कि उक्त खाद्य पदार्थ Non Alcoholic Ready to Serve Beverage Mix (Propriratary Food) Health Supplement (Protikem) जिसका नमूना खरीद बिल पत्रावली पर उपलब्ध हैं से क्रय किया एवं उस पर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) संभाग स्तरीय की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप संख्या **AF-863** नियमानुसार प्रत्येक नमूना भाग पर ऊपर सीरे से लेकर नीचे पेंदे तक व वापस सीरे तक लगातार गोलाई में गोन्द से चिपकाई एवं धागे से बांध कर नियमानुसार ब्रास सील संख्या 88 से सील चपडी किया। इस से स्पष्ट होता है कि खाद्य पदार्थ को नियमानुसार सील किया गया है। हमने खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज क्रमांक 7 फार्म नंबर 6 की प्रति का अवलोकन किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन, उदयपुर के द्वारा स्वयं आउटर कवर में सील बन्द नमूने फार्म नंबर 6 एवं सील्ड लिफाफे खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, उदयपुर को नमूना क्रमांक **AF-863** मय लिफाफे के जमा कराये गये जिसकी पुष्टि दस्तावेज क्रमांक 8 से होती हैं। हमने खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर की रसीद दस्तावेज क्रमांक 9 का अवलोकन किया जिससे जाहिर होता है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा स्वयं उक्त नमूना मय लिफाफे के दिनांक 21.09.2016 को जमा कराया गया। हमने आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नियम 2.4.1(10)(ii) एवं 2.4.1(10)(iii) के अभिहित अधिकारी सम्भाग स्तरीय, उप निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन–उदयपुर की रसीद दस्तावेज क्रमांक 10 का अवलोकन किया जिस से जाहिर होता है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 से लिये गये शेष 3 नमूनों एवं फार्म संख्या 6 की प्रतियों को नियमानुसार अभिहित अधिकारी को जमा कराये गये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज क्रमांक 13, 17 एवं 21 के

अवलोकन से जाहिर होता है कि कार्यालय अभिहित अधिकारी संभाग स्तरीय के पत्रांक/जोन/एफएसएसए/2016/2018 दिनांक 16.11.2016 के द्वारा विक्रेता (अप्रार्थी संख्या 1), पत्रांक जोन/एफएसएसए/2016/2233 दिनांक 21.12.2016 से थोक विक्रेता (अप्रार्थी संख्या 5) एवं पत्रांक/जोन/एफएसएसए/2017/282 दिनांक 09.02.2017 पत्रांक 169 दिनांक 23.01.2018 से निर्माता कम्पनियों (अप्रार्थी संख्या 10, 13 एवं 15) को खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, उदयपुर से प्राप्त रिपोर्ट संख्या **LS 566/ACT/2016/583 Dated 14-10-2016** की प्रति जरिये रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित की गई है, उक्त सभी पत्र रिकार्ड पर है। हमने खाद्य विश्लेषक, उदयपुर की रिपोर्ट **LS 566/ACT/2016/583 Dated 14-10-2016** का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। खाद्य विश्लेषक, उदयपुर की रिपोर्ट एवं मतानुसार

Report No LS 566/Act/2016/583 Dated 14-10-2016

Certified that I PANKAJ KUMAR duly appointed under the provisions of Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006) for RAJASTHAN STATE received from Sh. Ashok Kumar Gupta Food Safety Officer Zone Udaipur, a sample of Non Alcoholic Ready to Serve Beverage Mix (Propriratary Food) Health Supplement (Protikem) Bearing code no, and serial no. AM-863 of Zonal Level Designated officer Cum Dy. Director (Zone) Medical & Health Services, of Zone Udaipur on 21-09-2016 for analysis.
The condition of seals on the container and the outer covering on receipt was as follows Brass Seal No 88 Intact and unbroken. Tlie seals fixed on the container and outer cover tallied with the specimen seal impression sent separately, along with the copy of the memorandum, in sealed envelope.
I found the sample to be Health Supplement falling under Regulation No. 2.12 of Food Safety and Standards (food products standards and food additives) Regulations 2011. The sample was in a condition fit for analysis and has been analyzed on 29-09-2016 to 14-10-2016 and the result of its analysis is given below-

ANALYSIS REPORT---
(i) Sample description:- The sample contain in a Original Company pack tin of 3x200 gm. having poly aluminium pack kept loose without information like b. no. d.o.m., green symbol Etc. Contravention to Regulation 2.2.1(1)(4), 2.2.2(4), 2.2.2(7) & 2.2.2(9) of Food safety & Standards (Packaging & Labelling) Regulations 2011.
(ii) Physical appearance:- Whitish Powder.
(iii) Label :-- Brand- Protikem, Name of food- Non Alcoholic ready to serve Beverage mix (ProprietaryFood) Health Supplement, Mfg. By- Village- Cachet Pharmaceuticals Pvt. Ltd., Village-Thana, Baddi, Dist. Solam (H.P.) 173205, Pkd. on- 04/2016, Batch No.- PRPC/6125C, Green symbol of veg.- Present, Ingredients- Present, Nutritional Value- Given, Best before 24 Months- Present Bar code no.- 8902269018098 Fssai Li 10014062000252.

S. No.	Quality characteristics	Name of method of test used	Result	Prescribed standards asper (a) Food Safety and Standards(food products Standards and food additive) Regulations 2011|2.3.10(1)] (b) As per label declaration For proprietary food (c) As per provisions of the Act, rules, and regulations for both the above
1	Moisture	Air oven method, Ref:- Manual method-D.G.H.S.	1.67%	....
2	Total Ash (On dry weight basis)	Muffle Furnace method, Ref:- Manual method-D.G.H.S.	3.53%	....
3	Total Protein	Kjedahl method	13.65%	As per label it should be 15%
4	Ash insoluble in dilute hydrochloric acid	Muffle Furnace method, Ref:- Manual method-D.G.H.S.	0.021%	
5	Microbiology Yeast and mould count	Ref:- Manual method-D.G.H.S.	Absent	Absent
6	Rodent hair and excreta	Visible method, Ref:-Manual method D.G.H.S.	Absent	Absent
7	Insect infestation	Visual examination, Ref:- ISI handbook of food analysis part IV, 1984	Absent	Absent

Opinion:- The sample of Non Alcoholic Ready to Serve Beverage Mix (Propriratary Food) Health Supplement (Protikem) Bearing code no. and serial no. AM-863 of Designated officer (Food Safety) Zonal level Designated officer cum Dy. Director (Zone) Medical & Health Services, Zone, Udaipur is Misbranded Food under section 3(1)(zf)(B)(ii) of the Food Safety and Standards Act 2006.

खाद्य विश्लेषक, उदयपुर की रिपोर्ट से जाहिर होता है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी अशोक कुमार गुप्ता द्वारा लिया खाद्य पदार्थ का नमूना जो कि ब्रास सील संख्या 88 से सील्ड अवस्था में खाद्य विश्लेषक को प्राप्त हुआ। उक्त नमूना दिनांक 29.09.2016 से 14.10.2016 तक जांच के लिये उपयुक्त था। उक्त नमूने के संबंध में खाद्य विश्लेषक द्वारा अपनी रिपोर्ट में अवगत कराया गया है कि the sample to be Health Supplement falling under Regulation No. 2.12 of Food Safety and Standards (food products standards and food additives) Regulations 2011. एवं The sample contain in a Original Company pack tin of 3x200 gm. having poly aluminium pack kept loose without information like b. no. d.o.m., green symbol Etc. Contravention to Regulation 2.2.1(1)(4), 2.2.2(4), 2.2.2(7) & 2.2.2(9) of Food safety & Standards (Packaging & Labelling) Regulations 2011.

उक्त नमूना जिस पर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) सम्भाग स्तरीय की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप संख्या **AF-863** चस्पा की गई **Non Alcoholic Ready to Serve Beverage Mix (Propriratary Food) Health Supplement (Protikem)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा **3(1)(zf)(B)(ii)** के तहत मिथ्याछाप (Misbranded) स्तर का पाया गया है। अभिहित अधिकारी सम्भाग स्तरीय द्वारा उक्त रिपोर्ट पत्रांक/जोन/एफएसएसए/2016/2018 दिनांक 16.11.2016 के द्वारा विक्रेता (अप्रार्थी संख्या 1) को, पत्रांक जोन/एफएसएसए/2016/2233 दिनांक 21.12.2016 से थोक

विक्रेता (अप्रार्थी संख्या 5) एवं पत्रांक/जोन/एफएसएसए/2017/282 दिनांक 09.02.2017, पत्रांक/जोन/एफएसएसए/2018/169 दिनांक 23.01.2018 से निर्माता कम्पनियों (अप्रार्थी संख्या 10, 13 एवं 15) को प्रेषित की गई का अवलोकन किया, जिसमें अभिहित अधिकारी द्वारा अप्रार्थीगण को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011 की धारा 46(4) के तहत खाद्य विश्लेषक, उदयपुर से प्राप्त रिपोर्ट की प्रति प्रेषित की एवं रेफरल खाद्य प्रयोगशाला से जांच कराये जाने के संबंध में अवगत कराया गया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री अशोक कुमार गुप्ता द्वारा लिए गए खाद्य पदार्थ के नमूने के संबंध में न्यायालय में परिवाद संस्थित करने की 1 वर्ष की कालावधि समाप्त हो जाने से अभिहीत अधिकारी संभाग स्तरीय एवं उप निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन, उदयपुर द्वारा उक्त प्रकरण में जनहित में परिवाद संस्थित करने की समय सीमा बढ़ाने हेतु आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) एवं निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर को जरिये पत्रांक/जोन/एसएसएसए/2018/603 दिनांक 14.03.2018 से लिखा गया जिस पर आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) एवं निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज. जयपुर द्वारा अपने पत्रांक/एफएसएसए/स.सी./2018/505 दिनांक 30.05.2018 से जनहित में परिवाद संस्थित करने की समय सीमा दिनांक 31.072018 तक विस्तारित करने की अनुमति प्रदान करने से अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) संभाग स्तरीय एवं उप निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन उदयपुर द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011 की धारा 36 की उपधारा 3(e) के तहत अभियोजन आवेदन प्रस्तुत किये जाने की अभियोजन स्वीकृति आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को जरिये पत्रांक 1107 दिनांक 05.06.2018 से दी जाकर अधिकृत किया गया है जो कि दस्तावेज क्रमांक 26 अभियोजन स्वीकृति होकर रिकार्ड पर है।

अतः यह तथ्य निर्विवाद रूप से न्यायालय के समक्ष प्रकट होता है कि उक्त खाद्य पदार्थ मिथ्याछाप (Misbranded) है। इसके साथ ही आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अपने परिवाद को ठोस दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा साबित कराया गया एवं हम आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा किये गये अनुसंधान से पूर्ण रूप से संतुष्ट है, ऐसी स्थिति में हमारा अभिमत है कि पत्रावली में किसी भी प्रकार अतिरिक्त साक्ष्य एवं शहादत की आवश्यकता नहीं है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 25 में खाद्य पदार्थो के आयात एवं धारा 26 में खाद्य कारोबारकर्त्ता के दायित्वों का उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार प्रत्येक खाद्य कारोबारकर्त्ता यह सुनिश्चित करेगा कि खाद्य वस्तुएं इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों कि अपेक्षाओं को अपने नियंत्रणाधीन कारोबार को अंदर उत्पादन, प्रसंस्करण, आयात, वितरण और विक्रय के सभी प्रक्रमों को पूरा करती है एवं

निर्माता को निर्माण/पैकिंग के समय ही लेबल पर नियमानुसार सभी आवश्यक पूर्तियां करनी चाहिये थी, अधिनियम के अनुसार खाद्य पदार्थ विक्रेता/निर्माता को उक्तानुसार विधि की पालना किया जाना अपेक्षित हैं, किन्तु अप्रार्थी संख्या 1 से 3 का भी यह दायित्व बनता हैं कि वह आयातित खाद्य पदार्थ के विक्रय हेतु प्रदर्शित करने से पूर्व यह सुनिश्चित करे कि उक्त खाद्य पदार्थ पर नियमानुसार पूर्ति है अथवा नहीं, किन्तु इनके द्वारा इसकी जांच नही कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** का उल्लघंन किया गया है अतः उक्त प्रावधानों के तहत् अप्रार्थीगण को दोष मुक्त नही किया जा सकता हैं। अतः अप्रार्थीगण को उक्त खाद्य पदार्थ के विक्रय करने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** का उल्लघंन किये जाने का दोष प्रमाणित माना जाता है ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** के दोष का दोषी पाया जाकर दोषसिद्धि घोषित की जाती हैं।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** के तहत दोष सिद्ध अभिुक्तगण को अधिनियम की धारा 52 के अनुसार अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने के प्रावधान है। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। तथ्यों का मनन किया। अर्थदण्ड के बिन्दु पर चिंतन किया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के तहत दोष सिद्ध अभियुक्त को अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने के संबंध में अधिनियम की धारा 49 में वर्णित तथ्यों के आधार पर दण्डित किये जाने के प्रावधान प्रावधित किये गये हैं। अधिनियम की धारा 49 एवं 52 के अनुसार–

49. General provisions relating to penalty.

While adjudging the quantum of penalty under this Chapter, the Adjudicating Officer or the Tribunal, as the case may be, shall have due regard to the following:-

- (a) The amount of gain or unfair advantage, wherever quantifiable, made as a result of the contravention,
- (b) The Amount of loss caused or likely to cause to any person as a result of the contravention,
- (c) The repetitive nature of the contravention,
- (d) Whether the contravention is without his knowledge, and
- (e) Any other relevant factor,

52. Penalty for misbranded food.

- (1) Any person who whether by himself or by any other person on his behalf manufactures for sale or stores or sells or distributes or imports any article of food for human consumption which is misbranded, shall be liable to a penalty which may extend to three lakh rupees.
- (2) The Adjudicating Officer may issue a direction to the person found guilty of an offence under this section, for taking corrective action to rectify the mistake or such article of food shall be destroyed.

चूंकि अप्रार्थीगण की दोष सिद्धि घोषित की गई है, जिससे अप्रार्थीगण को अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है किन्तु, प्रकरण में विपक्षी/अप्रार्थी संख्या 4 से लगाकर अप्रार्थी संख्या 15 तक जो कि उक्त खाद्य पदार्थ के स्टॉकिस्ट, डिस्ट्रीब्यूटर, निर्माता कम्पनियां तथा उनके भागीदार होकर स्वयं उक्त प्रकरण में पक्षकार हैं जिससे विपक्षी/अप्रार्थी संख्या 1 से लगाकर अप्रार्थी संख्या 3 जो कि उक्त खाद्य पदार्थ के विक्रेता हैं को अर्थदण्ड से मुक्त किया जाता है। अतः अभियुक्त/अप्रार्थी संख्या 4 से लगाकर अभियुक्त/अप्रार्थी संख्या 15 को उक्त खाद्य पदार्थ का विक्रय एवं निर्माण करने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** में दोषसिद्धि घोषित किये जाने से अभियुक्त संख्या 4 से लगाकर अभियुक्त संख्या 15 को संयुक्त रूप से रूपये 3,00,000/– अक्षरे तीन लाख रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता हैं।

अभियुक्तगण उपरोक्त अर्थदण्ड एक माह की अवधि में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के मार्फत राजकोष में जमा करावें। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ को निर्देश दिये जाते है कि नियत समयावधि में शास्ति राशि जमा नही कराने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 के तहत् शास्ति राशि भू–राजस्व के बकाया की तरह वसूल करने की कार्यवाही करावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावे।

'निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गितेश श्री मालवीय)
न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
जिला चित्तौड़गढ़